[9/8/2021] परिशिष्ट

प्रश्न सं. [क्र. 190]

मध्यप्रदेश शासन
खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 1687/1834/08/9 भोपाल, दिनांक 23/09/2008

प्रति,

महालेखाकार,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषय :- आहरण संवितरण अधिकार प्रदान करने बाबत्।

---00---

म.प्र.शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग की अधिसूचना पृष्ठांकन क्रमांक 511/419/9/90, दिनांक 20/02/90 जिसके द्वारा दिनांक 01/03/90 से जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों को आहरण एवं संवितरण करने के लिये अधिकृत किया गया था को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर 1995 के भाग एक के अनुभाग एक के सरल क्रमांक 3 एवं 5 के तहत् प्रदेश के समस्त 50 जिलों में पदस्थ जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारियों को पदनाम से दिनांक 25/09/08 से कार्यालय प्रमुख तथा आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है तथा सरल क्रमांक 4 के तहत् पुलिस अधीक्षक पूर्व की भांति नियंत्रणकर्ता अधिकारी रहेगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. विनोद प्रधान)
उपसचिव
खेल और युवा कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक / 1688/1834/08/9 भोपाल, दिनांक 23/09/2008

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2/ सचिव, गृह विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र.भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4/ संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5/ समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, म.प्र. सूचनार्थ प्रेषित।
6/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7/ समस्त जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/9/08
उप सचिव
खेल और युवा कल्याण विभाग